न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी श्री विश्राम मीना, आई.ए.एस

अपील संख्याः 79/2019 एल.आर.एक्ट
GCMS No. 2019/00210

1. गुरजीत सिंह पुत्र जगरूप सिंह जट सिख निवासी चक 2 डब्ल्यू गुरूसर तहसील करणपुर जिला श्रीगंगानगर। (मृत्तक)

1/1 राजेन्द्र कौर पत्नी जगरूप सिंह जट सिख निवासी चक 2 डब्ल्यू गुरूसर तहसील करणपुर जिला श्रीगंगानगर।

1/2 सर्वजीत कौर पत्नी स्व. गुरजीत सिंह जट सिख निवासी चक 2 डब्ल्यू गुरूसर तहसील करणपुर जिला श्रीगंगानगर।

1/3 विरेन्द्र सिंह पुत्र स्व. गुरजीत सिंह जट सिख निवासी चक 2 डब्ल्यू गुरूसर तहसील करणपुर जिला श्रीगंगानगर।

1/4 रजमीत कौर पुत्री गुरजीत सिंह जट सिख निवासी चक 2 डब्ल्यू गुरूसर तहसील करणपुर जिला श्रीगंगानगर।

2. गुरसेवक सिंह पुत्र जगरूप सिंह जट सिख निवासी चक 2 डब्ल्यू गुरूसर तहसील करणपुर जिला श्रीगंगानगर।

— अपीलान्ट्स

बनाम

1. स्टेट ऑफ राजस्थान।

— रेस्पोन्डेंट

उपस्थितः अभिभाषक अपीलांट — श्री महावीर प्रसाद शर्मा, श्री मदन सुरोलिया
राजकीय अभिभाषक — मोहम्मद इम्तियाज अली

निर्णय

दिनांक 14.10.2025

यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत जिला कलक्टर श्रीगंगानगर के आदेश दिनांक 20.12.2018 के विरुद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत हुई। अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि –

1– अपीलांट्स की चक 2 डब्ल्यू तहसील करणपुर के खाता संख्या 33/9 मुरब्बा नंबर 37 व अन्य में 7.115 हैक्टेयर खातेदारी भूमि है। चक 2 डब्ल्यू के हिस्सेदार काश्तकार ने जिला कलक्टर श्रीगंगानगर को मुरब्बा नंबर 37 के पत्थर नंबर 157/122 के किला नंबर 1 ता 5 में अधिशाषी अभियंता जल संसाधन श्रीगंगानगर के आदेश क्रमांक 4634 दिनांक 16.05.1963 में स्वीकृत हुए खाले को राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, उक्त प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए पर जिला कलक्टर श्रीगंगानगर ने अपीलाधीन आदेश

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

दिनांक 20.12.2018 पारित कर दिया। जिला कलक्टर श्रीगंगानगर के उक्त अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.12.2018 से व्यथित होकर अपीलांट ने इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत की है।

2— अभिभाषक अपीलांट ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर अपील अपीलांट को मियाद में शुमार किये जाने का निवेदन किया। अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र में उल्लेखित तथ्यों को मध्यनजर रखते हुए अपील अपीलांट को मियाद में शुमार किया जाता है।

3— अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस कथन किया कि अपीलांट्स चक 2 डब्ल्यू तहसील करणपुर के हिस्सेदार काश्तकार है तथा चक हाजा का खाता संख्या 33/9 मुरब्बा नंबर 37 व अन्य में 7.115 हैक्टेयर उनके नाम खातेदारी दर्ज है। मौके पर मु.नं. 37 का समस्त रकबा अपीलांट्स के कब्जा काश्त में चला आ रहा है। मु.नं. 37 के किला नंबर 1 ता 5 में ना तो कभी कोई खाला स्वीकृत किया गया, ना ही चला और ना ही मौके पर चल रहा है। राजस्व रिकार्ड में पूरा मुरब्बा नहरी दर्ज है व किला नंबर 1 ता 5 प्रत्येक 0.253 हैक्टेयर नहरी दर्ज है। सी सी ए रिकार्ड में भी 25 बीघा ही कमाण्ड दर्ज है, चक प्लान की नकल शामिल है। खाला मु.नं. 28, 29, 30, 31 प्रत्येक के किला नंबर 21 ता 25 में मौके पर चल रहा है। चक हाजा के हिस्सेदार ने अधिशाषी अभियंता के समक्ष मुरब्बा नंबर 37 के किला 1 ता 5 में खाला मंजूर होने का गलत कथन करते हुए एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। अपीलांट्स ने अधिशाषी अभियंता एवं अधीक्षण अभियंता के समक्ष केवियट प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपीलांट्स को सुनकर कार्यवाही करने का निवेदन किया। कार्यवाही शुरू होने पर दिनांक 10.10.2016 को एक स्थगन आदेश भी जारी किया गया, जिसकी नकल शामिल हैं। उक्त कार्यवाही लंबित रहते हुए मुरब्बा नंबर 28 के हिस्सेदार ने जिला कलक्टर श्रीगंगानगर के समक्ष प्रा. पत्र दिनांक 14.09.2018 पेश कर मु.नं. 37 के किला नंबर 1 ता 5 में खाला दर्ज करवाने का इकतरफा आदेश दिनांक 20.12.2018 पारित करवाकर राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद के आदेश प्राप्त कर लिये। जिला कलक्टर का उक्त आदेश सिंचाई विभाग के सन् 1963 में स्वीकृत खाले के आदेश को मध्यनजर रखते हुए जारी किया गया है, किन्तु मौके पर खाला न चलने के कारण धारा 29(2) राज. जल सिंचन एवं निकाय अधि. के हक समाप्त हो जाने से ना तो खाला खुदवाया जा सकता है और ना ही चलाया जा सकता है। फिर भी जिला कलक्टर श्रीगंगानगर ने बिना मौके की जांच करवाये व अपीलांट्स को बिना सुने इकतरफा तौर पर अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया। माननीय राज. उच्च न्यायालय व राजस्व मण्डल ने अपने विभिन्न निर्णयों में यही

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

सिद्धांत प्रतिपादित किये है कि प्रभावित पक्षकार को बिना सुने पारित किया गया आदेश निरस्त योग्य है। जमाबन्दी के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि मु.नं. 37 का रकबा अपीलांट्स के नाम खातेदारी दर्ज होने से प्रभावित पक्षकार है, फिर भी अपीलांट्स को बिना सुनवाई के अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया, जो कानूनी रूप से गलत है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जिला कलक्टर श्रीगंगानगर का अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे।

4— विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया है कि जिला कलक्टर श्रीगंगानगर का अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.12.2018 अधिशाषी अभियंता जल संसाधन श्रीगंगानगर के आदेश क्रमांक 4634 दिनांक 16.05.1963 को आधार मानते हुए जारी किया गया है। अधिशाषी अभियंता श्रीगंगानगर ने अपने आदेश दिनांक 16.05.1963 द्वारा चक 2 डब्ल्यू के मु.नं. 37 के किला नंबर 1 ता 5 के प.नं. 157/122 से 158/122 में खाला स्वीकृत किया, जो विधिसम्मत है। अतः अपील अपीलांट निरस्त की जाकर अपीलाधीन आदेश यथावत रखा जावे।

5— हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज व अभिलेख ध्यानपूर्वक अवलोकन किया तथा उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। जिला कलक्टर श्रीगंगानगर ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.12.2018 पारित कर खाला स्वीकृत करने के आदेश पारित कर दिये। पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि मुरब्बा नंबर 37 का समस्त रकबा रिकार्ड अनुसार व चक 2 डब्ल्यू के सीसीए स्टेटमेंट के अनुसार पूर्णतः नहरी हैं व जमाबन्दी अनुसार भी उक्त रकबे में किसी प्रकार का कोई खाला स्वीकृत नहीं है। फिर भी जिला कलक्टर श्रीगंगानगर ने बिना रिकार्ड का अवलोकन किये अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया, जो न्यायोचित नहीं है। उक्त परिपेक्ष्य में अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जिला कलक्टर श्रीगंगानगर का अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.12.2018 निरस्त किया जाता है।

5— तदनुसार अपील अपीलांट निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय की प्रति अपील पत्रावली में शामिल की जाकर पत्रावली सुव्यवस्थित रखी जावे। निर्णय आज दिनांक 14.10.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विश्राम मीना)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर